न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : जयवीर सिंह R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :— 38/2017

दायर तारीख : 10.05.2017

1. ओमप्रकाश उर्फ राहुल पुत्र गैन्दा लाल जाति ब्राह्मण निवासी खातोलाई तहसील विराटनगर, हाल निवासी 2—जी.एच 6 मधुवन बासनी जोधपुर जिला जोधपुर

—— वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. गैन्दालाल पुत्र भूरामल
2. पवन कुमार पुत्र गैन्दालाल } निवासी खातोलाई तहसील विराटनगर
3. मूलचन्द
4. भगवत प्रसाद } पुत्रान गैन्दालाल, निवासी खातोलाई, तहसील विराटनगर हाल जे—56 पल्लवपुरम, फेस—1, मोदीपुरम मेरठ
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी सं॰ 1 लगा॰ 4

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक 19.12.2018

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि वादी/अप्रार्थी ने हाल खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 1525, 1526, 1527, 1535 किता 4 रकबा 2.16 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 23 के खसरा नम्बर 1528, 1529, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539 किता 9 रकबा 2.38 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1531/0.03 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)।

Scanned by CamScanner

जिसके हिस्सा 1/4 खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 तथा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है, के संबंध में इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। वादी/अप्रार्थी ने प्रस्तुत वाद में अन्य खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जिसके अभाव में वाद खारिज किया जाना न्यायसंगत है। वादी ने अपने वाद में अंकित सजरा खानदान में बुआ का अंकन नहीं किया साथ ही रामेश्वर पुत्र भूराराम की स्थिति अर्थात उसके वारिसान की स्थिति को भी छुपाया है तथा गैन्दालाल की पुत्रियों का भी कोई हवाला नहीं दिया है, जबकि बहनें भी वादी की तरह ही भूमि पर अपना हक रखती है। ऐसे में वादी ने अपने वादपत्र में अंकित सजरा खानदान गलत अंकित किया है। यह भी कि आराजी मुतनाजा का वादी/अप्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के साथ बंटवारा नहीं हुआ है तथा किसी स्थान विशेष पर बिना बंटवारा किये हक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ऐसे में वादपत्र विधि विरूद्ध होने खारिज किये जाने योग्य है। वादी/अप्रार्थी ने विवादित आराजी में जन्म से अधिकार होने का कथन करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना हिस्सा 1/20 गलत अंकित किया है। वादी का अपने पिता के जीवित रहते किसी प्रकार का हिस्सा नहीं बनता है। वादी का वाद विधिक प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

3. वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 22 व 23 में अंकित भूमि के हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं वादी ने उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति होने के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वादपत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के संबंध में है, वादी ने अन्य खातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है, ऐसे में अन्य खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है। वादी ने अपने हिस्से की घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है, तथा वादी के हिस्से की घोषणा किये जाने से विवादित भूमि के अन्य खातेदारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। यह भी कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां अपने ससुराल में अपने पति की सम्पत्ति पर काबिज है एवं उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है, जिस कारण उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, फिर भी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उनके नाम पते न्यायालय को अवगत कराने पर उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाये जाने पर मिन वादी को कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
विराट नगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

1955 के तहत कृषि भूमि के संबंध में इस्तकरारहक एवं घोषणा खातेदारी का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है एवं प्रस्तुत वाद विहित कानूनी प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की पूर्ति नहीं करता है, इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. बहस अधिवक्ता वकुलाय सुनी गई।

वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता का तर्क रहा कि आदेश 7 नियम 11 का स्कोप सीमित है तथा हाल खाता संख्या 22 व 23 में अंकित भूमि के हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं अप्रार्थी ने उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति होने के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वादपत्र प्रार्थी संख्या 1 के हिस्से के संबंध में है, वादी ने अन्य खातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है, ऐसे में अन्य खातेदारां को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है। यह भी कि अप्रार्थी ने अपने हिस्से की घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है, तथा अप्रार्थी के हिस्से की घोषणा किये जाने से विवादित भूमि के अन्य खातेदारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि अप्रार्थी ने हाल खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 1525, 1526, 1527, 1535 किता 4 रकबा 2.16 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 23 के खसरा नम्बर 1528, 1529, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539 किता 9 रकबा 2.38 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1531/0.03 हैक्टेयर जिसके हिस्सा 1/4 खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 तथा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है, के संबंध में इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। अप्रार्थी ने प्रस्तुत वाद में अन्य खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जिसके अभाव में वाद खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थी ने अपने वाद में अंकित सजरा खानदान में बुआ का अंकन नहीं किया साथ ही रामेश्वर पुत्र भूराराम की स्थिति अर्थात उसके वारिसान की स्थिति को भी छुपाया है तथा गैन्दालाल की पुत्रियों का भी कोई हवाला नहीं दिया है, जबकि बहने भी वादी की तरह ही भूमि पर अपना हक रखती है। यह भी कि आराजी मुतनाजा का वादी/अप्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के साथ बंटवारा नहीं हुआ है तथा किसी स्थान विशेष पर बिना बंटवारा किये हक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ऐसे में वादपत्र विधि विरूद्ध होने खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

5 पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया वस्तुत ग्राम खातोलाई खाता संख्या 22 में दर्ज खसरा नम्बर 1525/0.52, 1526/0.97, 1527/0.32, 1535/0.35 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 गेन्दालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा हिस्सा 1/4 की खातेदारी अन्य खातेदार शान्ती देवी पत्नि रामेश्वर, पूरणमल, शंकरलाल पिता रामेश्वर, किरण देवी पुत्री रामेश्वर, हिस्सा 3/24 लाडा देवी पत्नि महादेव, श्रवण देवी, सम्कू देवी पुत्रीयान महादेव, हिस्सा 1/72 सीताराम पुत्र महादेव, हिस्सा 13/144 शंकरलाल पुत्र रामेश्वर, हिस्सा 1/12 सविता देवी पत्नि शंकरलाल, हिस्सा 1/4 राजना पत्नि रामगोपाल पलसानिया के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नामान्तकरण संख्या 680 दिनांक 11.04.15 हकत्याग से लाडा देवी पत्नि महादेव, श्रवण देवी, सम्कू देवी पुत्रीयान महादेव हिस्सा 3/24 के स्थान पर सीताराम पुत्र महादेव हिस्सा 3/24 तथा नामान्तकरण संख्या 720 दिनांक 19.05.16 विरासतन सीताराम पुत्र महादेव हिस्सा 5/36 के बजाय सोहनी देवी पत्नी सीताराम, जगदीश पुत्र सीताराम, रेखा, वन्दना पुत्रीयां सीताराम के नाम स्वीकार हुआ है। इसी प्रकार खाता संख्या 23 में दर्ज खसरा नम्बर 1528/0.21, 1529/0.03, 1532/0.34, 1533/0.03, 1534/0.22, 1536/0.53, 1537/0.33, 1538/0.13, 1539/0.56 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 तथा हिस्सा 1/16 शंकरलाल पुत्र रामेश्वर, हिस्सा 1/18 सविता देवी पत्नी शंकरलाल, हिस्सा 1/6 मुन्नी देवी पत्नी मूलचन्द, हिस्सा 3/16 शान्ती देवी पत्नी रामेश्वर, पूरणमल पुत्र रामेश्वर, किरण देवी पुत्री रामेश्वर, किरण देवी पुत्री रामेश्वर, हिस्सा 1/9 लाडा देवी पत्नी महादेव, सीताराम पुत्र महादेव, श्रवण देवी, सम्कू देवी पुत्रीयां महादेव, रामनारायण पुत्र मांगीलाल, हिस्सा 1/18 सविता देवी पत्नी शंकर लाल के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा नामान्तकरण संख्या 691 दिनांक 12.06.15 हकत्याग से लाडा देवी, श्रवण देवी, सम्कू देवी के स्थान पर सीताराम के नाम तथा नामान्तकरण संख्या 720 दिनांक 19.05.16 विरासतन सीताराम पुत्र महादेव के बजाय सोहनी देवी पत्नी सीताराम, जगदीशप्रसाद पुत्र सीताराम, रेखा, वन्दना पुत्री सीताराम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 24 में दर्ज खसरा नम्बर 1531/00.03 हैक्टेयर की खातेदारी हिस्सा 1/4 प्रार्थी संख्या 1 एवं अन्य खातेदार उर्मिला देवी हिस्सा 1/6, शान्ती देवी, पूरणमल, शंकरलाल, किरण देवी हिस्सा 1/4, लाडा देवी, सीताराम, श्रवण देवी, सम्कू देवी हिस्सा 1/6, रामनारायण हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि संयुक्त

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हिन्दु परिवार की पैत्रिक सम्पति होने के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है। इसके संबंध में यह कि अप्रार्थी ने प्रस्तुत वाद में अन्य खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, तथा अपने वाद में अंकित सजरा खानदान में बुआ का अंकन नहीं किया साथ ही रामेश्वर पुत्र भूराराम की स्थिति अर्थात उसके वारिसान की स्थिति को भी छुपाया है तथा गैन्दालाल की पुत्रियों का भी कोई हवाला नहीं दिया है, जबकि बहने भी अप्रार्थी की तरह ही भूमि पर अपना हक रखती है। यह सही है कि प्रस्तुत वादपत्र प्रार्थी संख्या 1 के हिस्से के संबंध में है, वादी ने अन्य खातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है, तथा अप्रार्थी के हिस्से की घोषणा किये जाने से विवादित भूमि के अन्य खातेदारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है, परन्तु आराजी मुतनाजा का अप्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के साथ बंटवारा नहीं हुआ है तथा किसी स्थान विशेष पर बिना बंटवारा किये हक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य वारिसान हस्तगत वाद के आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते हैं तथा आराजी मुतनाजा के सहखातेदार भी औपचारिक पक्षकार है, जिनको पक्षकार मुकदमा बनाया जाना वादी/अप्रार्थी का दायित्व है। जहां, तक प्रार्थी संख्या 1 की पुत्रीयों के नाम पते उपलब्ध कराने पर पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रश्न है, वादी का दायित्व है कि वह प्रभावित पक्षों को दावे में पक्षकार बनाए एवं उनके सही पते की जानकारी स्वयं दे। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों को भी पुत्रों के समान हक अधिकार दिए गए है। हस्तगत वाद आवश्यक पक्षकार मुकदमा अभाव में दूषित होने से दावा खारिज किया जाना न्यायसंगत है। वादी चाहे तो नवीन वाद प्रस्तुत कर सकता है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
विराट नगर, जयपुर

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है। अप्रार्थी/वादी आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान/सहखातेदारान/वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुए चाहे तो नवीन वाद प्रस्तुत कर सकता है।

निर्णय दिनांक 19.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– जयवीर सिंह आर.ए.एस.

ओमप्रकाश उर्फ राहुल पुत्र गैन्दा लाल जाति ब्राह्मण निवासी खातोलाई तहसील विराटनगर, हाल निवासी 2–जी.एच 6 मधुवन बासनी जोधपुर जिला जोधपुर

–– वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. गैन्दालाल पुत्र भूरामल } निवासी खातोलाई तहसील विराटनगर
2. पवन कुमार पुत्र गैन्दालाल }
3. मूलचन्द } पुत्रान गैन्दालाल, निवासी खातोलाई, तहसील विराटनगर
4. भगवत प्रसाद } हाल जे–56 पल्लवपुरम, फेस–1, मोदीपुरम मेरठ
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर

–– प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

1. मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 38/2017 दावा बावत इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रुबरू श्री चिरंजीलाल एडवोकेट व हाजरी .... मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए। सुना गया। हस्तगत वाद के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अतः हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है। अप्रार्थी/वादी आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान/सहखातेदारान/वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुए चाहे तो नवीन वाद प्रस्तुत कर सकता है। निर्णय दिनांक 19.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

Scanned by CamScanner

मुवलिक ....शून्य........................ बाबत ....शून्य.............. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य................ की सादी सलाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....शून्य... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2018 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुददई	रुपया	मुद्दायलह	रुपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner